गिरिडीह में सोते नवजात पर बैठे सिपाही, मौत

नेटवर्क

देवरी (गिरिडीह) प्रतिनिधि। देवरी में एक घर में छापेमारी के दौरान बिस्तर पर सो रहे चार दिन के नवजात पर पुलिस जवानों के बैठने से दबकर उसकी मौत हो गई। घटना कोसोगोंदीदघी गांव में बुधवार तड़के तीन बजे की है। इस हादसे के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृत बच्चे के पिता रमेश पांडेय ने आवेदन देकर आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया।

आरोपी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस की टीम : बुधवार तड़के पुलिस विशेष अभियान के तहत फरार वारंटियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चला रही थी। इसी सिलसिले में गैर जमानती वारंट के आधार पर कोसोगोंदोदिघी गांव के वारंटी भूषण पांडेय को गिरफ्तार करने को पुलिस उसके घर पहुंची। मृत बच्चे की मां नेहा देवी के मुताबिक, बुधवार सुबह तीन बजे देवरी पुलिस की टीम उसके घर पहुंची थी। पुलिस उनके ससुर भूषण पांडेय को ढूंढ रही थी। पुलिसकर्मियों के सर्च करने के दौरान सभी सदस्य घर के बाहर निकल गए। इस दौरान उनका चार दिन पूर्व जन्मा बच्चा घर में ही बिस्तर पर सो रहा था। जब पुलिस घर से बाहर निकली तो मां नेहा अपने बच्चे के पास गई। वहां बच्चे के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। इसके बाद परिजन नवजात की मौत का आरोप पुलिस पर लगाकर हंगामा करने लगे।

दंडाधिकारी की मौजूदगी में शव का पंचनामा

परिजनों के आक्रोश के बाद घटनास्थल पर ही दंडाधिकारी देवरी बीडीओ इंद्रलाल ओहदार की मौजूदगी में शव का पंचनामा तैयार किया गया। साथ ही तिसरी इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद ने मामले की जांच शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। इस संबंध में नोडल अफसर डीएसपी संजय राणा ने बताया कि दंडाधिकारी के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम शव का पोस्टमार्टम कर रही है। इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने पर ही कार्रवाई होगी।

> शव का मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पोस्टमार्ट्म कराया जा रहा है। पहली नजर में ऐसा कुछ नहीं मिला है। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर किसी प्रकार के तथ्य मिले तो दोषी पर कार्रवाई होगी।
>
> – अमित रेणु, एसपी, गिरिडीह

राहुल के खिलाफ मानहानि मामले में फैसला आज

सूरत, एजेंसियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश होंगे, जहां फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। यह मामला 'मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ नेता पहले ही राहुल गांधी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सूरत में मौजूद हैं।

रखरखाव के नाम पर सिर्फ 40 फीसदी टैक्स लेने का नियम

अनुबंध समाप्त होने पर भी पूरे टोल टैक्स की वसूली

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लगभग 900 किलोमीटर लंबे वडोदरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई टोल प्लाजा का अनुबंध समाप्त होने के बावजूद 100 फीसदी टोल टैक्स लिया जा रहा है। जबकि सरकार का नियम कहता है कि ऐसे टोल प्लाजा पर राजमार्ग के मरम्मत व रखरखाव के नाम पर सिर्फ 40 फीसदी टैक्स लिया जाना चाहिए।

सूत्रों ने बताया कि वडोदरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर छह टोल प्लाजा हैं जिनका अनुबंध समाप्त हो गया है। इसमें वडोदरा-भरुच खंड और भरुच-सूरत खंड राजमार्ग का अनुबंध जून 2022 में समाप्त हो गया है। जबकि सूरत-दहिसर खंड पर तीन टोल प्लाजा है जिनका अनुबंध फरवरी 2021 में पूरा हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उपरोक्त सभी टोल प्लाजा को मेनेंटेनेंस ऑपरेशन ट्रांसफर (एमओटी) करार के तहत टोल वसूलने का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया है।

सड़क परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने बताया कि नियम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण-चौड़ीकरण में निवेश किए धन की आपूर्ति के लिए सड़क यात्रियों से टोल टैक्स वसूल की जाती है। इसके तहत निजी कंपनी को 10 से 15 साल तक टोल टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जाता है। इसकी दरें भी प्राधिकरण व निजी कंपनी के बीच हुए करार के तहत तय की जाती हैं। पूंजी लागत रिटर्न होने के बाद कंपनी का उक्त करार समाप्त हो जाता है। इसके बाद प्राधिकरण उक्त राजमार्ग के मरम्मत और रखरखाव के लिए पुनः दूसरी निजी कंपनी से एमओटी के तहत समझौता करता है।

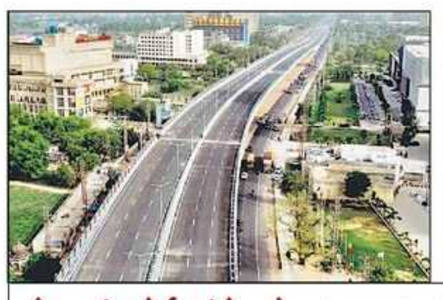

06 टोल प्लाजा हैं, वडोदरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिनका अनुबंध समाप्त हो चुका है

मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने गडकरी से की शिकायत

देश में व्यावसायिक वाहनों की सर्वोच्च संस्थान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने छह टोल प्लाजा पर 100 फीसदी टोल टैक्स वसूली को लेकर सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से लिखित शिकायत की है। इसमें कहा, एनएचएआई व निजी कंपनियों की मिलीभगत से ओएमटी समझौते के बावजूद 100 फीसदी टोल टैक्स लिया जा रहा है।

आय 1.40 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टोल टैक्स से होने वाली आय 2024 तक 40,000 करोड़ रुपये सालाना से बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। फास्टैग तकनीक में इलेक्ट्रिानिक टोल वसूली प्रणाली के तहत टोल वसूली में उछाल आया है। इससे टोल टैक्स में होने वाली चोरी पर लगाम लगी है।

राजनाथ सिंह के खिलाफ नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नोटिस दिया है।

उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री ने पहले से कोई नोटिस दिए बिना कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आधारहीन आरोप लगाए हैं, जो सदन के नियमों का उल्लंघन है। मणिकम टैगोर ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष को भेजे इस नोटिस में नियम 352 (7) और नियम 353 का हवाला दिया है।

वैवाहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई नौ मई को होगी

नई दिल्ली एजेंसी। वैवाहिक दुष्कर्म यानी पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाने को अपराध करार देने की मांग और इससे जुड़ी अन्य याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय नौ मई 2023 को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह की गुहार पर मामले को नौ मई को सुनवाई के लिए सहमति जताई है।

केंद्र सरकार का जवाब तैयार है : शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में 15 फरवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि केंद्र सरकार का जवाब तैयार है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 मई को खंडित फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की गई थी। इसके अलावा और कई याचिकाएं दायर की गई थी।

'नियुक्ति रोकने से वरिष्ठता प्रभावित न हो'

चिंता

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति के लिए भेजे गए नामों को केंद्र द्वारा रोककर रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे उम्मीदवारों की वरिष्ठता पर असर पड़ता है। कॉलेजियम ने सरकार से कहा कि जिन नामों की पहले सिफारिश की जा चुकी है, उन्हें पदोन्नत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने कहा कि जिन नाम की पहले सिफारिश की गई है, उनकी पदोन्नति के लिए अधिसूचना जल्द जारी की जानी चाहिए। कॉलेजियम ने 21 मार्च के एक प्रस्ताव में यह चिंता जताई। प्रस्ताव के अनुसार, 17 जनवरी 2023 के अपने प्रस्ताव द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहे रामास्वामी नीलकंदन की हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी और 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार रामास्वामी नीलकंदन की आयु 48 वर्ष सात महीने थी, जबकि उस समय के. राजशेखर की आयु 47 वर्ष नौ महीने थी।

कॉलेजियम ने कहा कि बार के सदस्य नीलकंदन के नाम की सिफारिश पहले की जा चुकी है और राजशेखर की नियुक्ति से पहले उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए था, अन्यथा नीलकंदन से कनिष्ठ एवं न्यायिक अधिकारी राजशेखर वरिष्ठता क्रम में उनसे ऊपर हो जाएंगे। वरिष्ठता में इस तरह का विचलन अनुचित और स्थापित परिपाटी के विरुद्ध है।

फर्जी खबरें लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरे में डाल सकती हैं

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि फर्जी खबरें समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी खतरे में डाल सकती हैं। 16वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल मुख्य न्यायाधीश ने जिम्मेदार पत्रकारिता को वह इंजन बताया, जो लोकतंत्र को बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में पत्रकारों के लिए अपनी रिपोर्टिंग में सटीक, निष्पक्ष, जिम्मेदार और निडर होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपातकाल के दौर में एक अखबार द्वारा अपने संपादकीय पृष्ठ कोरे रखे जाने की बात का जिक्र करते हुए सीजेआई ने कहा कि यह याद दिलाता है कि मौन कितना शक्तिशाली है।

दलित छात्राओं को मंदिर में प्रवेश से रोका

उत्तराखंड

- दो सवर्ण युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
- छात्राओं पर जातिगत टिप्पणी भी की गई

सोमेश्वर, (अल्मोड़ा) संवाददाता। सोमेश्वर के एक शिव मंदिर में दलित छात्राओं को प्रवेश से रोकने का मामला सामने आया है। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने गांव के दो सवर्ण युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सीओ रानीखेत को सौंपी गई है।

पुलिस के मुताबिक, घटना बीती 15 मार्च की है। फूलदेई पर्व के दिन सोमेश्वर के मालौज गांव की सात-आठ छात्राएं स्थानीय शिव मंदिर में दर्शन करने गई थीं। छात्राओं का आरोप है कि स्थानीय युवक किशोर सिंह अधिकारी और सोबन सिंह ने उन्हें दलित बताते हुए मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया।

आरोप है कि जातिगत टिप्पणी करते हुए उन्हें मंदिर से बाहर कर दिया गया है। इसे लेकर मौके पर हंगामा भी हुआ।

मामले की विवेचना की जा रही : घटना के बाद छात्राओं ने इस मामले की शिकायत करते हुए सोमेश्वर थाने में तहरीर सौंपी। टीआर वर्मा, सीओ रानीखेत टीआर वर्मा ने कहा कि पुलिस ने दलित छात्राओं को मंदिर में प्रवेश से रोकने के आरोप में किशोर सिंह और सोबन सिंह के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

शरद पवार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई

नई दिल्ली, एजेंसी। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष को एकजुट करने के प्रयासों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने 23 मार्च यानी गुरुवार को विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में साझा हित और ईवीएम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पवार ने पत्र में कहा है कि विशेषज्ञ इसको लेकर आशंकित हैं कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है।

सुझाव | क्लाईमेट ट्रेंड्स द्वारा आयोजित वेबिनार में विशेषज्ञों ने आमदनी के नए जरिए तलाशने की सलाह दी

जलवायु क्षतिपूर्ति के लिए नए रास्ते तलाशे भारत

भारत में जी-20 सम्मेलन

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। जी-20 देशों के अध्यक्ष के रूप में भारत के पास वैश्विक स्तर पर न्यायसंगत ऊर्जा रूपांतरण के वित्तपोषण और कई अन्य पहलुओं पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका है। इनमें दूरगामी निवेश के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली क्षति की भरपाई के लिए आमदनी के नए जरिए तलाशने के उद्देश्य से एक वैश्विक समझौते में भूमिका का अवसर शामिल है। 'क्लाईमेट ट्रेंड्स' की तरफ से आयोजित एक वेबिनार में विशेषज्ञों ने यह बात कही।

ग्रेशम कॉलेज के प्रोफेसर और बारबाडोस के प्रधानमंत्री के विशेष राजनयिक अविनाश प्रसाद ने कहा कि भारत पूरे वर्ष जी-20 का अध्यक्ष है और अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव भी है। यह बड़ा और महत्वपूर्ण अवसर है। इस वक्त पर्यावरण में तपिश बढ़ रही है।

हमने पिछले साल पाकिस्तान में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न भीषण आपदा को देखा है और भारत में भी जबरदस्त तपिश को महसूस किया गया। इसलिए वित्त से जुड़े मसलों को सुलझाने का यह बेहतर मौका है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम की निदेशक उल्का केलकर ने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों को सततता निर्माण और अनुकूलन के मद पर अपने घरेलू खर्च को कम करना पड़ा है। कोरोना के दौरान फिजी को इस मद पर खर्च में 40 फीसदी, बांग्लादेश को सात प्रतिशत और इंडोनेशिया में 20 फीसदी की कटौती करनी पड़ी।

सबसे धनी कर रहे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन

उल्का केलकर ने कहा कि आईपीसीसी की मंगलवार को आई रिपोर्ट में दो तथ्य देखने योग्य हैं। पहला यह कि दुनिया के 10 प्रतिशत सबसे धनी लोग लगभग 45 फीसदी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। नीचे के 50 प्रतिशत लोग जो जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे परिणामों को भुगत रहे हैं, वे ग्रीन हाउस गैसों के कुल उत्सर्जन के 15 फीसदी हिस्से के लिए ही जिम्मेदार हैं। इस असमानता और अन्याय को दूर किया जाना चाहिए।

बिक्री सूचना

रेडियस इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड – (परिसमापन में)

पंजी कार्यालय : ट्राइकोन टॉवर, प्लॉट नं. 4बी, द्वितीय तल, मयूर विहार जिला सैन्टर, मयूर विहार एक्सटेंशन, दिल्ली–110091
परिसमापक: अरविंद गर्ग
परिसमापक का पता: 302–ए, पाल मोहन प्लाजा, देश बंधु गुप्ता रोड करोल बाग, नई दिल्ली –110005
ईमेल: arvindgarg31@gmail.com, radius.arvind@gmail.com संपर्क नं. +91- 97189 31858, 011-47724484/ 85
दिवाला और ऋण शोध अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन कॉर्पोरेट देनदार की ई–नीलामी बिक्री चलते हुए व्यापार की तरह

नीलामी की तिथि और समय: सोमवार, 10 अप्रैल, 2023 अपरा. 03.00 बजे से अपरा. 4.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ)

रेडियस इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड–परिसमापन–में की एक चालू कन्सर्न के रूप में बिक्री परिसमापक द्वारा, जो माननीय राष्ट्रीय विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांकित 31 मई, 2021 द्वारा नियुक्त किया गया है। यह बिक्री परिसमापक द्वारा ई–नीलामी प्लेटफार्म : **https://ncltauction.auctiontiger.net** के माध्यम से निष्पादित की जाएगी।

क्र.सं.	आस्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बोली वृद्धि राशि	धरोहर राशि
1.	कार्पोरेट देनदार की एक चालू कन्सर्न के रूप में बिक्री, कार्पोरेट देनदार की ग्राहकों की प्रतिभूति जमाओं के प्रति देयताओं सहित **विशिष्ट बहिष्करण :** i. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (हाथ रोकड़, बैंक में रोकड़ तथा अन्य साविध जमाएं)। ii. कोई आस्ति अथवा दिवाला एवं ऋणशोध अक्षमता संहिता, 2016 के चैप्टर–।।। के अनुसार सौदों से बचने के लिए कार्यवाही के माध्यम से वसूल किया गया उसका मूल्य iii. अनाहूत पूंजी तथा/अथवा अदत्त पूंजी अंशदान (उनपर शेयर प्रीमियम सहित) के प्रति कार्पोरेट देनदार के किसी अंशदायी से वसूल की गई कोई देयबकाया राशि	₹ 12,60,00,000/-	₹ 5,00,000/-	₹ 1,00,00,000/-

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं

1. ई–नीलामी **"जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर"** के आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता **मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर)** के माध्यम से संचालित की जाएगी।
2. कॉर्पोरेट देनदार, उसकी संपत्ति और देनदारियों का निरीक्षण हेतु **दिनांक 23 मार्च 2023 से 07 अप्रैल 2023 तक**, केवल इच्छुक व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि **07 अप्रैल 2023 को अपरा. 06.00 बजे तक** है।
3. **स्थानांतरण दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के अनुसार और माननीय एनसीएलटी द्वारा अंतिम पुष्टि के अधीन किया जाएगा।**
4. ई–नीलामी प्रक्रिया के पूर्ण दस्तावेज जिसमें **रेडियस इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड परिसमापन में, चालू कन्सर्न के रूप में बिक्री** आस्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई–नीलामी बिड फार्म, घोषणा तथा वचनपत्र फार्म, ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के साधारण नियम एवं शर्तें दी गई हैं, वेबसाइट **https://ncltauction.auctiontiger.net** और **https://www.radiusinfratel.com/Radius-Infratel-in-Liquidation.html** पर उपलब्ध हैं।

सम्पर्क : श्री प्रवीन थेवर, मो. +91-97227 78828, 079-68136841
ईमेल: praveen.thevar@auctiontiger.net, nclt@auctiontiger.net

अरविन्द गर्ग,
परिसमापक
रेडियस इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड–परिसमापन में
IBBI पंजीकरण सं. IBBI/IPA-003/IP-N00029/2017-2018/10189
पता: 302ए पाल मोहन प्लाजा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
ईमेल : arvindgarg31@gmail.com, radius.arvind@gmail.com, फोन : +91-97189 31858

दिनांक: 23.03.2023
स्थान : नई दिल्ली

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
परीक्षा अनुभाग

प्रवेश सूचना सं. 46/2023

F.No.AIIMS/7-10/Exam.Sec./(B.Sc.-M.Sc-2023)/2023 09.02.2023

अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली तथा अन्य अ.भा.आ.सं. में सत्र अगस्त-2023 के लिए बी.एससी. (एच) नर्सिंग/ बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट-बेसिक)/ बी.एससी. (पैरामेडिकल कोर्सेज) तथा एम.एससी. नर्सिंग/एम.एससी. कोर्सेज/एम.बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रवेश सूचना

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में उपरोक्त वर्णित विषयगत पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु करायी जा रही प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र (बेसिक पंजीकरण तदुपरान्त कोड का सृजन तथा अंतिम पंजीकरण) आमंत्रित किये जाते हैं:-

पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूची

बी.एससी.(एच) नर्सिंग/ बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट-बेसिक)/ बी.एससी. (पैरामेडिकल कोर्सेज)-2023 के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन (पीएएआर)	प्रारंभिक तिथि: 15.02.2023 अंतिम तिथि: 20.04.2023(सायं 05.00 बजे)
बी.एससी.(एच) नर्सिंग/ बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट-बेसिक)/ बी.एससी. (पैरामेडिकल कोर्सेज)-2023 के लिए अंतिम पंजीकरण हेतु कोड का सृजन। केवल उनके लिए जिनका बेसिक पंजीकरण स्वीकार्य हो चुका है।	प्रारंभिक तिथि: 01.03.2023 अंतिम तिथि: 28.04.2023(सायं 05.00 बजे)
अंतिम पंजीकरण (शुल्क का भुगतान तथा शहर का चुनाव) केवल उनके लिए जिन्होंने अंतिम पंजीकरण के लिए कोड सृजित किया है।	प्रारंभिक तिथि: 01.03.2023 अंतिम तिथि: 28.04.2023(सायं 05.00 बजे)

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूची

एम.एससी. नर्सिंग/एम.बायोटेक्नोलॉजी/एम.एससी. कोर्सेज-2023 के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन (पीएएआर)	प्रारंभिक तिथि: 15.02.2023 अंतिम तिथि: 20.04.2023(सायं 05.00 बजे)
एम.एससी. नर्सिंग/एम.बायोटेक्नोलॉजी/एम.एससी. कोर्सेज-2023 के लिए अंतिम पंजीकरण हेतु कोड का सृजन, केवल उनके लिए जिनका बेसिक पंजीकरण स्वीकार्य हो चुका है।	प्रारंभिक तिथि: 03.03.2023 अंतिम तिथि: 28.04.2023(सायं 05.00 बजे)
अंतिम पंजीकरण (शुल्क का भुगतान तथा शहर का चुनाव) केवल उनके लिए जिन्होंने अंतिम पंजीकरण के लिए कोड सृजित किये हैं	प्रारंभिक तिथि: 03.03.2023 अंतिम तिथि: 28.04.2023(सायं 05.00 बजे)

सभी आवेदकों को वेबसाइट: **www.aiimsexams.ac.in** नियमित रूप से देखना होगा क्योंकि सभी बाद के शुद्धिपत्र/अनुशेष/अपडेट्स को केवल वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

सीबीसी 17112/12/0042/2223

सहायक नियंत्रक (परीक्षा)

आज़ादी का अमृत महोत्सव | G20

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)
चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110066
वेबसाइट: www.beeindia.gov.in दूरभाष: 011-26766700

कृपया ध्यान दें: 14 अधिसूचित क्षेत्रों में ऊर्जा उपयोगकर्ता

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) के तहत
ऊर्जा खपत की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना

निम्नलिखित ऊर्जा गहन क्षेत्रों में ऊर्जा के सभी उपयोगकर्ता / उपयोगकर्ता-वर्ग, जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत निम्नलिखित ऊर्जा गहन क्षेत्रों के विरुद्ध दर्शाई गई विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है, को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ई), का.आ.394 (ई) दिनांक 12 मार्च, 2007, का.आ. 3542 (ई) दिनांक 29 दिसंबर, 2015, का.आ.1388(ई) दिनांक 02 मई, 2017 और का.आ. 2147 (अ) दिनांक 17 जून, 2020 का.आ. 3445 (ई) दिनांक 28 सितंबर, 2020, का.आ. 4165 (ई) दिनांक 07 सितंबर, 2022 के तहत नामित उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है।

क्र. सं.	अधिसूचित क्षेत्र	मीट्रिक टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) प्रति वर्ष ऊर्जा की न्यूनतम खपत
1.	एल्यूमिनियम	7,500
2.	सीमेंट	
	(क) एकीकृत सीमेंट यूनिट	30,000
	(ख) सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट	10,000
3.	वाणिज्यिक भवन या स्थापनाएं	
	(क) होटल	500
	(ख) हवाई अड्डा	500
4.	क्लोर–अल्कली	12,000
5.	विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम)	एस ई आर सी/जे ई आर सी द्वारा सभी लाइसेंस प्राप्त वितरण कंपनियां
6.	उर्वरक	30,000
7.	लौह और इस्पात	20,000
8.	लुगदी और कागज	20,000
9.	पेट्रोलियम रिफाइनरियां	90,000
10.	पेट्रोरसायन यूनिटें जिनमें गैस क्रैकर या नेफ्था क्रैकर या दोनों शामिल हों	1,00,000
11.	रेलवे	
	(क) सभी जोनल रेलवे (ट्रैक्शन)	70,000
	(ख) कार्यशालाएं	750
	(ग) रेलवे की 8 उत्पादन फैक्टरियां नामतः आईसीएफ आरसीएफ, सीएलडब्ल्यू, बीएलडब्ल्यू पीएलडब्ल्यू आरडब्ल्यूएफ, एमसीएफ और आरडब्ल्यूपी	-
12.	वस्त्र	3,000
13.	थर्मल पॉवर स्टेशन	30,000
14.	पेट्रोकेमिकल विनिर्माण इकाइयां	
	(1) फाइबर इंटरमीडिएट	50,000
	(2) पॉलिमर	10,000
	(3) डिटर्जेंट इंटरमीडिएट	9,000
	(4) परफोर्मेंस प्लास्टिक	3,000
	(5) अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पाद	6,000
	(6) सिंथेटिक रबर	15,000
	(7) सुगंध	20,000

केंद्र सरकार द्वारा का.आ.1409(ई) दिनांक 28 मार्च, 2018, का.आ. 1473(ई) दिनांक 29 मार्च, 2019, का.आ. 1254(ई) दिनांक 13 अप्रैल, 2020, का.आ. 4491(ई) दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 का.आ. 4552 (ई) दिनांक 26 सितंबर, 2022, को संबंधित नामित एजेंसी को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को एक प्रति के साथ, वार्षिक ऊर्जा खपत की स्थिति पर ऊर्जा प्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले दो वर्षों अर्थात् 2021.22 और 2022.23 की रिपोट, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ठ) के तहत अधिसूचित प्रपत्र–1 में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

आवश्यक क्षेत्र लागू प्रो.फॉर्मा या प्रपत्र.1 की एक प्रति बीईई वेबसाइट: **https://beeindia.gov.in/content/pat-performa** से डाउनलोड की जा सकती है।

यदि कोई व्यक्ति 30 जून, 2023 तक वार्षिक खपत आदि की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 26 के तहत दंड का भागी होगा।

अधिक जानकारी/प्रश्न के लिए कृपया हमसे 011.26766700 पर संपर्क करें या **newdc@beeindia.gov.in** पर मेल भेजें।

CBC 34106/12/0024/2223

मिशन निदेशक, एनएमईईई